न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बरः– 144/20

1. शिवसिंह पुत्र मोहनलाल
2. शिवदेव पुत्र मोहनलाल

जाति जाटव, निवासी बरखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. उदयराम पुत्र घुरू
2. भूरीसिंह पुत्र खरगी
3. देशराज पुत्र हरजी
4. रतन पुत्र चरनलाल
5. भौदूं पुत्र चरनलाल
6. महेन्द्र पुत्र मंगली
7. रामसिंह पुत्र सुमेरचंद
8. गिरधारी पुत्र सुमेरचंद
9. बबलू पुत्र सुमेरचंद

जातियान जाटव, निवासी बरखेडा, तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

.....असल प्रतिवादीगण

10. राकेश पुत्र स्व0 मदनलाल
11. राहुल पुत्र स्व0 मदनलाल
12. श्रीमती विरमा विधवा मदनलाल
13. लक्ष्मी पुत्री स्व0 मदनलाल
14. मोहनसिंह पुत्र रेवती

जाति जाटव निवासी बरखेडा हाल निवासी बी–75 जवाहर नगर भरतपुर राज0

15. राजेन्द्र पुत्र रामरतन
16. मुरारी पुत्र गिर्राज
17. लालसिंह पुत्र दयाराम
18. नरेश पुत्र दयाराम

जातियान जाटव, निवासी गांव बरखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व मैन्डेटरी इंजेक्शन व विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 53 राज.टी.एक्ट

दिनांकः– 16/12/2025

निर्णय

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एड0 वादीगण

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत वाद घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व मैन्डेटरी इंजेक्शन व विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 53 राज. टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम झामरी तहसील बयाना जिला भरतपुर में आराजी खसरा नम्बर 2043 रकवा 0.75, 2044 रकवा 0.43 किता 2 कुल रकवा 1.18 हैक्ट. स्थित है। जमाबन्दी सम्वत 2063–66 में प्रतिवादी संख्या 6 महेन्द्र 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज थे। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 ने उक्त आराजी खसरा नम्बरान 2043 रकवा 0.75 व 2044 रकवा 0.43 किता 2 कुल रकवा 1.18 हैक्ट. में निहित 1/7 हिस्से के रकवे को दिनांक 28.06.

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

2012 को मुबलिग 1,00,000/– रूपये शब्देन एक लाख रूपये में विक्रय कर मौके पर वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया और उसी दिन प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 ने उसी दिन विक्रय की गई आराजी का विक्रयपत्र वादी के हक में तहरीर कराकर उप–पंजीयक महोदय बयाना कें यहां पंजीवद्व करा दिया था, औश्र वादीगण उक्त आराजी में निहित भाग 1/7 को वहैसियत खातेदार काश्त करते व काबिज चले आ रहे है। शेष भाग में प्रतिवादी संख्य 6, 6/14 एंव प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 मिलकर वहिस्सा बराबर 6/14 भाग के खातेदार , काश्तकार व काबिज है। उक्त विक्रयपत्र के आधार पर वादीगण ने अपने नाम नामान्तकरण की कार्यवाही कराने हेतु प्रार्थना पत्र मय विक्रयपत्र की फोटो प्रति व आवश्यक शुल्क तत्कालीन पटवारी अनूपचन्द को दे दिये थे। वादीगण को कह दिया नामान्तकरण की कार्यवही कराकर राजस्व रिकार्ड जमांबदी में वादीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज चढा देगें वादीगण ने तत्कालीन पटवरी की बातों पर विश्वास कर लिया था कि राजस्व रिकार्ड जमांबदी में वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी का इन्द्राज हो गया होगा तत्कालीन पटवारी अनूपचंद का स्थानान्तकरण हो गया लेकिन वादीगण को उक्त आशय की जानकारी नहीं थी विक्रयपत्र के आधार पर वादीगण के नाम दाखिला खारिज नहीं हुआ है कि दिनांक 17.07.2018 को वादीगण ने उक्त खाते की सम्वत 2071–74 की जमाबंदी प्रति प्राप्त की तब वादीगण को जानकारी हुई कि राजस्व रिकार्ड जमांबदी में विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 1/2 हिस्स एंव प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी का गलत व अवैध इन्द्राज हो रहा है। वादीगण के खरीद शुदा भाग पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज नहीं हुआ है। वादीगण उक्त विवादित आराजीयात में 1/7 भाग पर खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। उक्त आराजी खसरा नम्बरान में निहित 1/7 भाग के विक्रय करने के बाद, प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 का विवादित आराजी के निहित 1/7 भाग से किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 के मध्य उक्त आराजी का वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड विभागजन नहीं हुआ है। वादीगण अपने निहित 1/7 हिस्से पर वहैसियत खातेदार काश्तकार संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहा है। एवं शेष 6/7 भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 वादीगण के साथ खातेदार काश्तकार एवं काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजी के अलावा खसरा नम्बर 1972 रकवा 0.04, 1972/2172 रकवा 0.03, 1994 रकवा 0.80 किता 3 कुल रकवा 0.87 हैक्ट ग्राम झामरी तहसील बयाना में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। एवं शेष भाग में प्रतिवादी संख्या 6, 1/7 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 मिलकर वहिस्सा बराबर 1/7 हिस्से प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 के पिता मृतक (मदनलाल) व 14 मोहनसिंह मिलकर 1/7 हिस्से प्रतिवादी संख्या 15 राजेन्द्र 1/7 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 16 मुरारी 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 17 लालसिंह व प्रतिवादी संख्या 18 नरेश मिलकर वहिस्सा बराबर 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान को वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 18 संयुक्त रूप से अपने निहित हिस्से के अनुसार काश्त करते व काबिज चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी का भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 एवं प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 18 के मध्य निहित हिस्से के अनुसार वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। जबकि मौके पर वादीगण एंव उक्त प्रतिवादीगण अपने निहित हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 का उक्त विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादीगण ताकतवर, प्रभावशाली, लट्ठ वाले व्यक्ति है वादीगण

कमजोर असहाय व्यक्ति है। वादीगण में से वादी संख्या 1 अल्प विकसित अवस्था का कमजोर है। प्रतिवादीगण, वादीगण की कमजोरी व असहाय अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की निहित हिस्से की आराजी पर अतिक्रमण नाजायज कब्जा करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 बिना किसी अधिकार से नाजायज कब्जा करने के उदेश्य से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 उक्त विवादित आराजी में बिना विभाजन कराये प्लाट बनाकर विक्रय करने पर आमादा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 उक्त विवादित आराजी में बिना विभाजन कराये प्लाट बनाकर विक्रय करने पर आमादा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 06 लगायत 09 व 10 लगायत 18 से विवादित आराजी का निहित हिस्से के अनुसार दिनांक 15.07.2018 को विभाजन करने की कहा तो प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी का निहित हिस्से के अनुसार न केवल विभाजन से इंकार कर दिया है बल्कि प्रतिवादी संख्या 06 ने उक्त तथ्य की जानकारी के बाबजूद कि विवादित आराजी के 1/7 हिस्सा का विक्रयपत्र वादीगण के हक में तहरीर व रजिस्टर्ड करा दिया है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज सम्पूर्ण हिस्से को बैंक में रहन रख दिया है। प्रतिवादीगण ने 15.07.2018 को ही वादीगण को धमकी दी है कि वे उक्त विवादित आराजी का बिना विभाजन कराये नाजायज कब्जा कराने के आशय से दीगर व्यक्तियों को प्लाट बनाकर विक्रय कर देगें तथा वादीगण को शांति पूर्वक तरीके से काश्त नहीं करने देगें तथा वादीगण के निहित हिस्से पर नाजायज अतिक्रमण कर वादीगण की फसल को नष्ट व बरवाद करके कब्जा कर लेगें वादीगण को निहित हिस्से से बेदखल कर देगें यही नहीं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 का उक्त विवादित आराजी से किसी प्रकार का सरोकार व सम्बन्ध न होने के बाबजूद प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने वादीगण की वैक पर दिनांक 15.07.2018 के बाद वादीगण के निहित काबिज हिस्से पर नाजायज अतिक्रमण करने के आशय से झोपडी व टीन पोश डाल दी है। नाजायज कब्जा करने के आशय से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05, वादीगण के निहित हिस्से पर निर्माण करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण संख्या 06 लगायत 9 के नाम उनके द्वारा विक्रय की गई आराजी में वादीगण के हिस्से की राजस्व रिकार्ड में गलत खातेदारी दर्ज होने व प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के निहित हिस्से पर नाजायज कब्जा कर बेदखल करने अथवा बिना विभाजन कराये वादीगण के हिस्से को भी दीगर व्यक्तियों का बिना रजिस्टर्ड कराये एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा नाजायज रूप से वादीगण के हिस्से की आराजी पर बिना किसी अधिकार से अतिक्रमण कर अवैध झोपडी व टीनपोश रख लेने पर वादीगण को बहुत ही ज्यादा अपूर्णनीय क्षति होगी भविष्य में वादीगण के खातेदारी अधिकारों को धूमिल होने व आराजी के निति हिस्से के उपयोग व उपभोग से वंचित होने की पूर्ण संभावना हो गई है।

अन्त में वादीगण वर्णित आराजी 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी की घोषणा प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 के नाम सम्पूर्ण हिस्से पर खातेदारी का गलत इन्द्राज है अतः राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम 1/7 व प्रतिवादी संख्या 6, 6/14 हिस्से प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को 6/14 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 के मध्य उनके निहित हिस्से के अनुसार विभाजन कराये जाने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 18 के मध्य आराजी का निहित हिस्से के अनुसार विभाजन कराया जाकर उनके हिस्से पृथक–पृथक कुरा बनाये जाकर वादीगण के निहित हिस्से के पृथक कुरे पर वादीगण को न्यारान्यूर कब्जा व दखल में दिलाया जाने वादीगण के पृथक कुरे का अलग से खाता कायम रैन्ट कायम किया जाने, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्व मैन्डटरी इंजेक्शन जारी किये जोन वादीगण की आराजी के निहित भाग पर झोंपडी व टींन को हटवाये जाने, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने कि प्रतिवादीगण वादीगण

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

के निहित हिस्से पर किसी प्रकार से अतिक्रमण व हस्तक्षेप नहीं करे वादीगण की फसल को नष्ट व बरबाद नहीं करेकं वादीगण को शांति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार कि रूकावट नहीं डालें तथा आराजी का विभाजन होने तक किन्हीं दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नहीं करें, का निवेदन किया।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित हुये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाव दावा पेश न होने पर आदेशिका दिनांक 23.05.2025 से प्रतिवादीगण का जवाव वन्द किया गया। वादीगण द्वारा प्रकरण में आदेश 23 नियम 1 सीपीसी की दरख्वास्त पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त वाद घोषणा का अनुतोष तारीख 28.06.2012 के आधार पर चाहा गया था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीख 28.06.2012 का नामान्तकरण वादीगण के नाम स्वीकृत होकर जमावन्दी सम्वत 2075–78 में इन्द्राज होकर खातेदार दर्ज हो चुका है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 के विरूद्व वादीगण को घोषणा का अनुतोष जारी कराना आवश्यक नहीं रहा। तथा उक्त क्रम में वादी आराजी पर कब्जा प्राप्त कर चुका है। तथा वादीगण विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 व 10 लगायत 18 के विरूद्व विभाजन की कोई सहायता नहीं चाहता है। एवं प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 18 के विभाजन के अनुतोष को विड्रो कराना चाहता है। तथा प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 के विरूद्व वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहता है। वादीगण केवल प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व चालना चाहता है। आदेशिका दिनांक 23.05.25 को बाद वहस दरख्वास्त आदेश 23 नियम 1 सीपीसी स्वीकार की गई।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य जमावन्दी सम्वत 2075–78 प्रदर्श 1, जमावन्दी सम्वत 2075–78 प्रदर्श 2, व अपने मौखिक साक्ष्य में PW 1 शिवदेव, PW 2 कमलसिंह, PW 3 रामकिशन के शपथ पत्र पेश हुये।

हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण को एकपक्षीय सुना। एड0 वादीगण ने दौराने वहस प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व दादरसी चाही गई।

हमने पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाद वादीगण में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व दादरसी दिया जाना उचित है।

आदेश

अतः वाद वादीगण के तहत प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को खाता संख्या 210 एवं 226 वाके ग्राम झामरी तहसील बयाना में स्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय के साथ पावन्द किया जाता है कि वादीगण के निहित हिस्से में किसी प्रकार का अतिक्रमण व हस्तक्षेप नहीं करे वादीगण की फसल को नष्ट व बरबाद नहीं करें वादीगण को शांति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार कि रूकावट नहीं डालें, नाजायज कब्जा न स्वंय करे न करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/12/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज